राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 15 जून, 2010

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–9/2010–लेज.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11–06–2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2010

(2010 का विधेयक संख्यांक–5) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव ।

2010 का अधिनियम संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 11 जून, 2010 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

नई धारा 12–क का अन्तःस्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :––

1984 का 18

''12–क. हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के सोने और चाँदी का अन्यसंक्रामण.–(1) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों द्वारा सोने और चाँदी के विभिन्न प्रकारों में प्राप्त श्रद्धालुओं के चढ़ावे को उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के अनुमोदन के पश्चात् शोधित, विनिहित और व्ययनित करवाया जाएगा। सोने और चाँदी को खान और खनिज व्यापारिक निगम, मुम्बई से शोधित करवाया जाएगा और उसका निवेश तथा व्ययन, निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :––

(क) सोना :

(i) दस प्रतिशत सोना मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाया जाएगा;

(ii) बीस प्रतिशत सोने का निवेश भारतीय स्टेट बैंक की **"स्वर्ण बॉन्ड स्कीम"** में किया जाएगा; और

(iii) सत्तर प्रतिशत सोना मन्दिर में आरक्षित (रिजर्व) रखा जाएगा।

(ख) चाँदी :

(i) बीस प्रतिशत चाँदी मन्दिर के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाई जाएगी;

(ii) बीस प्रतिशत चाँदी मन्दिर में आरक्षित (रिजर्व) रखी जाएगी; और

(iii) साठ प्रतिशत चाँदी को सिक्कों में परिवर्तित किया जाएगा और उनका तत्समय विद्यमान चालू बाज़ार कीमत पर श्रद्धालुओं तथा तीर्थ यात्रियों को विक्रय किया जाएगा।

(2) सोने और चाँदी के शोधन और उनके व्ययन के लिए अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आयुक्त (मन्दिर) द्वारा समिति गठित की जाएगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :––

(i) सम्बद्ध आयुक्त (मंदिर) – अध्यक्ष;

(ii) मन्दिर न्यास का शासकीय सदस्य – सदस्य;

(iii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो गैर–सरकारी सदस्य – सदस्य;

(iv) सम्बद्ध जिला परिषद् का अध्यक्ष – सदस्य;

(v) सम्बद्ध पंचायत समिति का अध्यक्ष – सदस्य;

(vi) सम्बद्ध जिला भाषा अधिकारी – सदस्य; और

(vii) सम्बद्ध मन्दिर का मन्दिर अधिकारी – सदस्य–सचिव।

(3) गैर–सरकारी सदस्यों की पदावधि, अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष होगी, तथापि गैर–सरकारी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय हटाया जा सकेगा।

(4) गैर–सरकारी सदस्य, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों और अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मन्दिर अधिकारी द्वारा, सम्बद्ध मन्दिर की आय में से संदत्त किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के कृत्यों के अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) और पर्यवेक्षण के लिए प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) एवं मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :––

(i) मुख्य आयुक्त (मंदिर)	–	अध्यक्ष;
(ii) निदेशक (भाषा एवं संस्कृति) हिमाचल प्रदेश	–	सदस्य; और
(iii) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव या इससे ऊपर की पंक्ति का होगा	–	सदस्य। ''।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 14 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) ACT, 2010

(As Assented to by the Governor on 11th June, 2010)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act,1984 (Act No. 18 of 1984).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2010.

Insertion of new section 12-A.

2. After section 12 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, the following section shall be inserted, namely :—

"12-A. Alienation of gold and silver of Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments.—(1) The offerings of devotees received in the shape of various varieties of gold and silver by the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall be caused to be purified, invested and disposed of after the approval of the Committee constituted under sub-section(2). The gold and silver shall be caused to be purified from the Mines and Minerals Trading Corporation, Mumbai and shall be invested and disposed of in the following manner, namely :—

(A) Gold :

(i) 10 per cent gold shall be used for the various activities related to temples;

(ii) 20 per cent gold shall be invested in the "GOLD BOND SCHEME" of the State Bank of India; and

(iii) 70 per cent gold shall be kept reserved in the temples.

(B) Silver :

(i) 20 per cent silver shall be used for the various temple activities;

(ii) 20 per cent silver shall be kept reserved in the temples; and

(iii) 60 per cent silver shall be converted into silver coins and shall be sold to the devotees and pilgrims on the current market price prevailing at that time.

(2) For the purpose of grant of approval for purification of gold and silver and their disposal, a Committee shall be constituted by the Commissioner (Temple) which shall consist of the following members, namely :—

(i)	Concerned Commissioner (Temple)	— Chairman;
(ii)	Official member of the Temple Trust	— member;
(iii)	Two non-official members, to be nominated by the State Government	— member;
(iv)	Chairman of Zila Parishad concerned	— member;
(v)	Chairman of Panchayat Samiti concerned	— member;
(vi)	Concerned District Language Officer	— member; and
(vii)	Temple Officer of the temple concerned	— Member-Secretary.

(3) The tenure of the non-official members shall be two years from the date of notification, however, a non-official member may be removed by the State Government at any time before expiry of his tenure for the reasons to be recorded in writing.

(4) A non-official member shall be entitled to the travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Committee in accordance with rules and instructions issued by the State Government from time to time and the same shall be payable from the income of the temple concerned by the Temple Officer.

(5) There shall be a State Level Coordination Committee, to be constituted by the Principal Secretary (LAC)-*cum*-Chief Commissioner (Temples), to monitor and supervise the functions of the Committee constituted under sub-section (2). The committee shall consist of the following members, namely :—

(i)	Chief Commissioner (Temple)	— Chairman;
(ii)	Director (Language & Culture), Himachal Pradesh	— Member; and
(iii)	One representative of the Finance Department who shall be in the rank of Joint Secretary or above	— Member.”.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित